रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री आलोक कुमार शुक्ल, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल
श्री राज कुमार चौहान, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/105/2021
दावा पंजीकरण तिथि : 02-08-2021
आदेशार्थ रखने की तिथि : 20-09-2023
आदेश तिथि 19th October, 2023

1) दिलीप वर्मा पिता श्री महाराजी वर्मा,
2) शिवबती पत्नी श्री दिलीप वर्मा,
निवासी–ग्राम डोंडकी, पोस्ट–मुसराकला,
तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) ....आवेदक

विरूद्ध

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ0ग0) ....रेस्पाडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री अनिल मानिकपुरी, आवेदक–अधिवक्ता
श्री सुरेश नारायण सक्सेना, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता

:: नि र्ण य ::

श्री राजकुमार चौहान माननीय सदस्य (न्यायिक)

1. आवेदकों ने अपनी अविवाहित एवं नर्सिंग में अध्ययनरत् पुत्री मृतका *टिकेश्वरी उर्फ डिकेश्वरी पिता श्री दिलीप वर्मा* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप मे रूपये *आठ लाख* प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन मे कथन किया है कि *21* वर्षीया मृतका अपने गांव से दुर्ग बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने प्रतिदिन ट्रेन से अप–डाउन करती थी, जिसके लिए मृतका ने एमएसटी बनाया था जिसका नंबर–UXA 75081148 होकर दिनांक 21–12–2018 तक की अवधि के लिए वैध था एवं दिनांक 19-12-2018 को वह दुर्ग से मुसरा जेडी ट्रेन से आते समय अचानक घटनास्थल ग्राम आलीवारा रेलवे लाईन अप खम्भा नंबर 911/29 पर वह गिर गई और गिरने से आई गंभीर चोटों से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. पुलिस द्वारा प्रकरण को मर्ग संख्या 8/2018 पर पंजीबध्द कर आगे की कार्यवाही संपन्न की. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन अविवाहित मृतका पुत्री के माता–पिता के तौर पर

निरंतर 2/पर

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के आवेदक हकदार होने से यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

2. रेस्पाडेन्ट की ओर से वैधानिक तरीके से की गई अपनी जॉच रिपोर्ट में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर जवाबदावे में दावे का विरोध करते हुए यही कहा है कि मृतका के पास एमएसटी पाई गई, किन्तु मृतका को विवेचित यात्री ट्रेन अथवा अन्य किसी ट्रेन से गिरने का कोई साक्षी नहीं है एवं विवेचित गाड़ी गाड़ी के गार्ड/ड्रायवर के अनुसार घटनास्थल पर कोई जर्क नहीं लगा था, मृतका के पिता के कथन के अनुसार मृतका से उसकी मोबाइल पर बात हुई थी, किन्तु पुलिस कार्यवाही किसी मोबाइल के जब्त नहीं होने से, घटना संदेहास्पद है, क्योंकि मृतका का शव अप एवं डाउन लाइनों के बीच पाया गया था. इसलिए किसी का शव रेल लाइनों के पास पाये जाने से यह स्थापित नहीं होता है कि घटना अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन ही घटित हो. तदनुसार घटना के लिए अपनी किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए इसी आधार पर प्रकरण को खारिज किये जाने की प्रार्थना रेस्पाडेन्ट द्वारा की गई.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :-

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger at the time of incident ?*

2) *Whether the death of the deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway Administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

4. "आवेदकों की ओर से मौखिक साक्षी के तौर पर क्रमांक-1 ने अपने शपथपत्र *(AW/1)* के साथ-साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-10* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए गवाह के तौर पर उसकी ओर से जॉच करने वाले अधिकारीद्वय सर्वश्री अखिलेश कुमार, एसआई/आरपीएफ, डोंगरगढ़ *(RW/1)* एवं प्रफुल्ल कुमार बाबू, तत्कालीन एएसआई/आरपीएफ, डोंगरगढ़ *(RW/2)* को शपथपत्र के साथ उपस्थित कराया है. दोनों ही पक्षों के तीनों ही साक्षियों का प्रति-परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

निरंतर........3/पर

5. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर हमारा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज क्रमांक–1 :

6. *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003 के नियम–3* के अधीन वैधानिक तरीके से की गई रेस्पांडेन्ट की जाँच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट ***(R-1)*** कहा गया है, में बुनियादी दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा मृतका से एमएसटी जब्त करना तो स्वीकार किया है, किन्तु घटना के समय वह यात्रा नहीं करने का आरोप इस आधार पर लगाया है कि आवेदक ने अपने कथन (आर–14) में कहा है कि मृतका द्वारा उसको मुढ़ीपार स्टेशन से फोन पर कहा था कि गाड़ी थोड़ी लेट है, अतः जब मृतका के पास फोन भी था, किन्तु यह उसके पास प्राप्त नहीं होने से मृतका तत्समय यात्रा ही नहीं कर रही थी, इसलिए उसके पास एमएसटी प्राप्त होने के बाद भी वह यात्रा नहीं कर रही थी, इसलिए वह बोनाफाइड पैसेन्जर नही थी.

7. हालांकि, रेस्पांडेन्ट इसके समर्थन में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है, वहीं हमारे द्वारा उक्त कथन को देखा गया तो इससे यह भी साबित नहीं होता है कि मृतका ने अपने ही फोन से सूचना दी थी, या यह भी साबित नहीं होता है कि मृतका के पास फोन था और पुलिस द्वारा मोबाइल जब्त नहीं किया गया है, वहीं, स्वयं आवेदक ने कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होकर अपने प्रति–परीक्षण में रेस्पांडेन्ट के इस आरोप से इनकार किया है घटना के समय मृतका यात्रा नहीं कर रही थी. साक्षी ने अपने प्रति–परीक्षण में रेस्पांडेन्ट के पूछे जाने पर यह कहा है कि वह रात को 08–30 बजे वापिस आ जाती थी, उसी दिन घर वापिस लौटकर नहीं आई तब मैं उसकी सहेली ममता के घर कातलवाली पूछने गया था, उसने मुझे यह बताया कि दिन वह कॉलेज नहीं आई थी, ममता ने अपनी सहेली को फोन लगाया तो उसने बताया कि साथ की लड़कियाँ अपने–अपने स्टेशन पर उतर गई थी और मृतका लेडिज बोगी में बैठ गई थी. साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि मृतका ने फोन पर मुढ़ीपार स्टेशन से बताया था कि ट्रेन देर से चल रही है. अर्थात साक्षी के कोर्ट के सम्मुख किये गये कथन को विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत न कर न तो खंडित किया गया है एवं न ही रेस्पांडेन्ट ने अपने दिये गये तर्क को साबित ही किया है घटना के समय मृतका यात्रा नही कर रही थी. इस प्रकार परिस्थितिजन्य हालातो एवं इश्यूज क्रमांक–2 में यह निर्धारित होने पर कि मृतका यात्रा कर रही थी के साथ–साथ रेस्पांडेन्ट द्वारा विपरीत साक्ष्य मे अपना विरोध साबित नहीं कर पाने से हम यह अवधारित करते हैं कि आवेदकों ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया है कि घटना के समय मृतका जब्त एमएसटी के आधार पर बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा कर रही थी, इश्यूज क्रमांक–1 का विनिश्चय आवेदकों के पक्ष में किया जाता है.

निर्णय..... 4/पर

इश्यूज क्रमांक–2 :

8. *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003 के नियम–3* के अधीन वैधानिक तरीके से की गई रेस्पांडेन्ट की जाँच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में अपने रेकार्ड के आधार पर रेस्पांडेन्ट ने दावे का मुख्यत: इस आधार पर विरोध किया है कि मृतका को यात्रा करते हुए एवं घटनास्थल पर गिरने का कोई साक्षी नहीं है, विवेचित यात्री ट्रेन में जर्क का कोई प्रमाण नहीं मिलने से यह प्रमाणित नहीं है कि मृतका यात्रा करते समय दुर्घटना का शिकार हुई है

9. आवेदक की ओर से अपने दावा आवेदन को ही कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होकर सशपथ दोहराया है एवं यही कहा है कि मृतका उक्त विवेचित यात्री गाडी से वापिस आते समय दुर्घटना का शिकार हुई थी. हालांकि रेस्पांडेन्ट की ओर से उसकी ओर से जॉच करने वाले अधिकारियों को कोर्ट के सम्मुख उपस्थित तो अवश्य ही कराया है, जिसमें से साक्षी–*RW/1* द्वारा अपने शपथपत्र में यह कहना मृतका के गंगोत्री नर्सिंग होम में पढ़ने एवं अटेण्डेन्स की जानकारी चाहने पर उपलब्ध नहीं कराया जाना, शंकराचार्य नर्सिंग होम में मृतका का छात्रा नहीं होना आदि विरोधाभाषी कथनों से मृतका के अप–डाउन करने पर उठाये गये प्रश्नचिन्ह का विधि की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, रेस्पांडेन्ट की यह दलील भी साबित नही हुई है कि विवेचित यात्री गाडी से मृतका के गिरने का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि रेस्पांडेन्ट की ओर से ऐसी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि मृतका का घटनास्थल पर पाया गया शव यात्रा के दौरान गिरने का न होकर किसी अन्य कारण से था. हमारा घटना को अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन होने के सम्बन्ध में अवधारणा इसलिए भी अधिक साबित हो रही है क्योंकि, एक तो मृतका के पास 27–28 दिनों से जारी एमएसटी पाया जाना, साक्षी–*AW/1* द्वारा मृतका के विवेचित यात्री गाड़ी से यात्रा करने, इस आदेश के पैरा क्रमांक–7 में मृतका की सहेली द्वारा मृतका के ट्रेन की लेडिस बोगी में बैठ जाने के तथ्य के साथ–साथ नक्शा–पंचायतनामा (ए–3) में पंचों द्वारा ट्रेन से गिरने से मृत्यु होने पर दी गई राय को देखते हुए प्राप्त नहीं होने से वह बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं था तथा मृतक स्टार्ट हो चुकी चलती गाड़ी में सवार होते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसके लिए मृतक की यह गलती एवं लापरवाही ही पूर्णरूपेण जिम्मेदार है. रेस्पांडेन्ट की ओर से उपस्थित साक्षी की गवाही से तथ्य प्रमाणित है कि घटना के बाद यह साक्षी वहां पहुँचा था एवं इसने अपनी गवाही में ऐसा कोई तथ्य प्रगट नहीं किया है कि मृतक के साथ घटना किसी अन्य कारण से घटित हुई थी.

10. इस प्रकार हम यह मानते हैं कि आवेदकों ने पुख्ता तौर पर यह साबित कर दिया है कि मृतका के साथ घटित घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करते समय अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की परिस्थितियों में ही घटित हुई थी, इसलिए इश्यूज क्रमांक–2 का भी विनिश्चय आवेदकों के ही पक्ष में किया जाता है.

इश्यूज क्रमांक–3 :

11. चूँकि घटना को *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों में होने को पूख्ता सबूतों द्वारा साबित करने में रेस्पांडेन्ट असमर्थ रहा है इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी एक्ट के *सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

इश्यूज क्रमांक–4 एवं 5 :

12. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतका पुत्री के अविवाहित होने से आवेदक माता–पिता होने से उसके आश्रित होने से आवेदकों ने यह दावा दाखिल किया है व अपने–आप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदकों की ओर से बुनियादी दस्तावेजों के अलावा मृतका का मृत्यु प्रमाणपत्र, आवेदकों के आधारकार्ड, बैंक खाता विवरण एवं वॉक्षनकार्ड *(A-7 to 9)* आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है. इस प्रकार आवेदक–साक्षी की गवाही एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अविवाहित मृतका पुत्री के माता–पिता होने के नाते सभी आवेदक *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (B)(i)* के अधीन मृतका के आश्रित मान्य किये जाते हैं.

13. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं इस पर घटना दिनांक *19-12-2018* से भुगतान तिथि *(इसमें से आवेदक–साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 04-07-2022 से दिनांक 19-01-2023 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जा(ना)* तक *09%* प्रतिवर्ष साधारण ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप मे रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

15. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *8,00,000/-* में से आश्रितों को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)	As Fixed Deposit/ Annuity (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)
1)	दिलीप वर्मा	पिता	50	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-
2)	शिवन्ती वर्मा	माता	40	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-

विलंब..... 6/पर

16. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक *19-12-2018* से भुगतान तिथि *(इसमें से आवेदक–साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 04-07-2022 से दिनांक 19-01-2023 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* तक *09%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रितों को करेगा

17. लाभार्थी/लाभार्थियों के उम्र को दृष्टिगत रखते हुए तथा मुआवजा राशि का दुरूपयोग होने से बचाने के लिए इस राशि को निम्नानुसार जमा/निर्गमन किया जाएगा :–

(1) उक्त तालिका के क्रमांक–1 अर्थात् मृतका के पिता को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10% राशि अर्थात् 40,000/- एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको वह तत्काल निकाल सकता है, एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 3,60,000/- को 6,000/- (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 60 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी,

(2) उक्त तालिका के क्रमांक–2 अर्थात् मृतका की माता को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10% राशि अर्थात् 40,000/- एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको वह तत्काल निकाल सकती है, एवं शेष राशि अर्थात् रूपये 3,60,000/- को 5,000/- (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 72 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी,

18. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री को अथवा पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से 60 दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

19. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा

20. भारत सरकार ने 08 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओ (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी

निरंतर.....7/-पर

21. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से पैंकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

22. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

23. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

24. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा

25. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

26. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

27. यह पुनः आदेशित किया जाता है कि रजिस्ट्री *Suitors Account* बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक,शिवाजी नगर शाखा, भोपाल को कहेगा कि बैंक सायधि जमा खाते से पैसा निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसे इस पीठ से लिखित में आदेश न दिया जाए

28. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

29. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में पैंकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

30. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा, (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातो को छोड़कर).

31. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नम्बर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) उक्त लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत

...8/पर

खाते में जमा किया जाएगा. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

32. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगी.

33. माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रकरण *M.R.Krishnamurthy vs. New India Assurance Company Ltd. in CA 2476/2677 of 2019; decided on 5th March, 2019* के पैरा–40 में सभी दावा अधिकरणों को दिल्ली हाईकोर्ट के *राजेश त्यागी वि० जय वीर सिंह* प्रकरण में जमा योजना से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु कहा गया है.

34. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है

35. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे.

36. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी

37. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

Sd	Sd
(आलोक कुमार शुक्ल)	(राज कुमार चौहान)
सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ	रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 19th October, 2023 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया

Sd	Sd
(आलोक कुमार शुक्ल)	(राज कुमार चौहान)
सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ	रेल दावा अधिकरण, भोपाल

रेल दावा अधिकरण, प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, भोपाल पीठ, भोपाल

20/10/23
सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल